छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

षष्ठम् विधान सभा | अष्टम् सत्र | अंक-8

<u>नवा रायपुर अटल नगर, बुधवार, दिनांक 11 मार्च, 2026</u>

(फाल्गुन 20, शक संवत् 1947)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(सभापति महोदय (श्री धरमलाल कौशिक) पीठासीन हुए)

1. जन्म दिवस की बधाई

माननीय सभापति ने माननीय सदस्य, श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा को उनके जन्म दिवस पर अपनी एवं सदन की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी एवं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने भी शुभकामनाएं दी ।

2. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

3. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 01 पर चर्चा के दौरान शासन के उत्तर के विरोध में नेता प्रतिपक्ष, डॉ.चरणदास महंत के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।

4. प्रश्नकाल (क्रमशः)

प्रश्नकाल में पुन: चर्चा प्रारंभ होने पर प्रश्न संख्या- 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09 (कुल 08) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या- 06 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री राजेश मूणत सदस्य अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 78 तारांकित एवं 97 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

5. अध्यक्षीय निर्देश

तारांकित प्रश्न संख्या 04 पर चर्चा के दौरान माननीय सभापति ने विभागीय मंत्री को निर्देशित किया कि वर्तमान में जो टेंडर हो रहे हैं, वे निविदा से कम मूल्य में हो रहे हैं, फिर टेंडर ओपन होने के बाद ठेकेदार एग्रीमेंट नहीं कर रहे हैं और जो ठेकेदार एग्रीमेंट कर रहे हैं, वे काम छोड़ देते हैं। इसलिए ऐसे ठेकेदारों को प्रदेश के बाकी कामों से भी ब्लेक लिस्टेड करना चाहिए।

6. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री श्याम बिहारी जायसवाल, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास मंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996 (क्रमांक 15 सन् 1996) की धारा 13 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-25,

(2) श्री लखनलाल देवांगन, वाणिज्यिक कर (आबकारी) मंत्री ने कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024 तथा

(3) श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (क्रमांक 4 सन् 2006) की धारा 36 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम, 2009 के नियम 20 के उप नियम (3) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025,

पटल पर रखे।

7. सदन को सूचना

माननीय सभापति ने सूचित किया कि- वित्तीय वर्ष 2026-27 की अनुदान मांगों पर चर्चा में आज की कार्यसूची के पद 5 के उप पद 1 में श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री के विभागों से संबंधित अनुदान मांगों पर, पद 5 के उप पद 2 में श्री रामविचार नेताम, कृषि मंत्री के

विभागों से संबंधित अनुदान मांगों पर तथा पद 5 के उप पद 3 में श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, महिला एवं बाल विकास मंत्री के विभागों से संबंधित चर्चा रखी गई है। माननीय श्री रामविचार नेताम, कृषि मंत्री जी द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार उनके विभागों से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री जी के विभागों से पहले कराई जाए। इस संबंध में माननीय वित्त मंत्री जी तथा संसदीय कार्य मंत्री जी के साथ-साथ प्रतिपक्ष की ओर से भी सहमति व्यक्त की गई है, अतः श्री रामविचार नेताम, कृषि मंत्री के विभागों से संबंधित चर्चा पहले ली जाएगी।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

8. पृच्छा

सर्वश्री भूपेश बघेल, उमेश पटेल एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के अन्य सदस्यों द्वारा सदन के एक सदस्य को मिली धमकी के विषय में शासन से वक्तव्य की मांग की गई एवं जब तक संबंधित सदस्य सभा में आकर स्थिति स्पष्ट नहीं कर देते, तब तक सभा की कार्यवाही में भाग न लेने की घोषणा करते हुए सभा से बाहर गए।

9. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्रीमती कविता प्राण लहरे सदस्य ने प्रदेश के निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्डधारी मरीजों का इलाज नहीं किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

10. वायरल वीडियो के संबंध में माननीय सदस्य का वक्तव्य

माननीय सदस्य श्री रिकेश सेन ने कथन किया कि- वायरल वीडियो के संबंध में एवं इस पूरे विषय के संबंध में मैंने माननीय मुख्यमंत्री से संवाद किया है, संसदीय कार्य मंत्री जी को भी पूरी सूचना दे दी है। हमारी सरकार प्रत्येक जन प्रतिनिधि की सुरक्षा करती है। इसलिए विपक्ष के माननीय सदस्यों को डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। मेरी सुरक्षा की चिंता के लिए धन्यवाद।

11. सदन को सूचना

मानननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि- आज भोजन अवकाश नहीं होगा। आज भोजन की व्यवस्था श्री राजेश अग्रवाल, संस्कृति मंत्री की ओर से माननीय सदस्यों के लिये लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर पत्रकार कक्ष के समीप भोजन कक्ष में की गयी है। कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

12. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

(2) श्री अनुज शर्मा, सदस्य ने विधान सभा क्षेत्र धरसींवा में उद्योगों के द्वारा रासायनिक अपशिष्ट पदार्थों को भूमिगत जल स्त्रोत में डालने से पानी पीने योग्य नहीं होने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री ओ.पी.चौधरी, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

13. नियम 267-"क" के अंतर्गत विषय

माननीय सभापति की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-"क" के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं :-

1. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह
2. श्रीमती अंबिका मरकाम
3. श्री दलेश्वर साहू
4. श्री अनुज शर्मा
5. श्री अटल श्रीवास्तव

14. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय सभापति की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की याचिकाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं :-

1. श्री लखेश्वर बघेल
2. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह
3. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल

बुधवार, 11 मार्च, 2026

15. वित्तीय वर्ष 2026-2027 की अनुदान मांगों पर चर्चा

(1) श्री रामविचार नेताम, कृषि मंत्री ने कृषि से संबंधित मांग संख्या-13, पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या-14, मछली पालन से संबंधित मांग संख्या-16, आदिम जाति कल्याण से संबंधित मांग संख्या-33, अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित मांग संख्या-41, अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल से संबंधित मांग संख्या-42, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या-54, अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन से संबंधित मांग संख्या-68, अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या-82, अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या-83, प्रस्तुत की।

मांग संख्या-14 पर श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम, **मांग संख्या-16** पर श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई ।

श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

संसदीय कार्य मंत्री श्री केदार कश्यप ने प्रतिपक्ष के सदस्यों से अनुरोध किया कि चूंकि माननीय सदस्य श्री रिकेश सेन ने सदन में अपना पक्ष रख दिया है। अत: प्रतिपक्ष के सदस्य कार्यवाही में भाग लें।

माननीय सभापति ने भी प्रतिपक्ष के सदस्यों से अनुदान मांगों पर चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया।

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री ब्यास कश्यप, द्वारिकाधीश यादव, मोतीलाल साहू,

(सभापति महोदय (श्री विक्रम उसेण्डी) पीठासीन हुए)

श्री कवासी लखमा, सुश्री लता उसेण्डी, श्रीमती अंबिका मरकाम, श्रीमती भावना बोहरा, श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी,

(सभापति महोदय (श्री लखेश्वर बघेल) पीठासीन हुए)

सर्वश्री धर्मजीत सिंह, जनक ध्रुव, तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम,

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)

श्रीमती रायमुनी भगत,

(सभापति महोदय ने सदन की सहमति से आज की कार्यसूची का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

सर्वश्री ललित चन्द्राकर, धरमलाल कौशिक, रामकुमार यादव, दलेश्वर साहू, कुंवर सिंह निषाद ।

श्री रामविचार नेताम, कृषि मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री ने वित्त विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या-6, वाणिज्यक कर विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या-7, आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या- 21, योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या-31, प्रस्तुत की।

मांग संख्या-6 पर श्री कवासी लखमा, श्रीमती शेषराज हरवंश, **मांग संख्या-7** पर श्रीमती शेषराज हरवंश, **मांग संख्या-21** पर श्री कवासी लखमा, श्रीमती शेषराज हरवंश, श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

(सभापति महोदय (श्री विक्रम उसेण्डी) पीठासीन हुए)

मांगों और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई ।

बुधवार, 11 मार्च, 2026

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

निम्नलिखित सदस्य ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री धर्मजीत सिंह

श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(सभापति महोदय ने सदन की सहमति से श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, महिला एवं बाल विकास मंत्री के विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा आगामी दिवस में लिए जाने की घोषणा की)

(रात्रि 10.12 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 12 मार्च, 2026 (फाल्गुन 21, शक संवत् 1947) के पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा